उत्तर प्रदेश शासन
वित्त् (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या- 06/2017/सा-3-118/दस-2017-301(9)/2011
लखनऊ : दिनांकः 15 मार्च, 2017

विज्ञप्ति / शुद्धि पत्र

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या-05/2017/सा-3-109/दस-2017-301(9)/2011 दिनांक 10 मार्च, 2017 को पास बुक का प्रारूप जारी किया गया है। अभिदान के विवरण वाले प्रोफार्मा में आंशिक प्रत्याहरण के लेखे जोखे का कालम छूट गया था, जिसे सम्मिलित करते हुए अंतिम पृष्ठ को संशोधित कर दिया गया है, जो इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न है । शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत एन0पी0एस0 पास बुक के प्रारूप को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा ।
संलग्नक – यथोक्त ।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-06/2017/सा-3-118(1)/दस-2017-301(9)/2011,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख, कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
6- श्री चन्द्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेन्ट, एन0एस0डी0एल, मुम्बई।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन ।
11- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
12- मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

क- प्रारंभिक शेष जोड़िए .....

ख- (1) वर्ष में नियमित जमा.....

(2) प्रारंभिक शेष एव नियमित ..... जमा पर ब्याज

(3) वर्ष में अवशेष जमा.....

(4) अवशेष जमा पर ब्याज*.....

(5) योग (1 से 4 तक) .....

महायोग (क+ख) (5)) .....

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

1- प्रारम्भिक शेष .....

2- वर्ष के दौरान अभिदाता अंशदान .....

3- वर्ष के दौरान नियोक्ता अंशदान .....

4- आंशिक प्रत्याहरण का विवरण –

(1) वर्ष के दौरान आंशिक प्रत्याहरण रू0.....

(2) प्रत्याहरण का दिनांक .....

(3) प्रत्याहरण का प्रयोजन .....

5- वर्ष का अन्तिम शेष .....

<u>सत्यापन</u>

..... द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

.....द्वारा सत्यापन किया गया।

कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

http://shasanadesh.up.nic.in

नोट :-

1- नियमित वेतन बिलों के अलाबा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बंधित विवरण अंकित किये जायेंगे। ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

* 2- जिस अवधि तक डी0सी0आई0 मे कटौती की गयी है, उस अवधि तक के लिये व्याज दर, जी0पी0एफ0 पर लागू ब्याज दर के समान होगी । जिस माह से प्रान में धनराशि जमा की जा रही हैं, इस माह से राज्य सरकार द्वारा बयाज का भुगतान नहीं किया जाना है । प्रान में कटौती जमा होने के प्रथम माह से पासबुक का पृष्ठ बदल दिया जाये (अर्थात नये पृष्ठ से इन्टिरी की जायेगी)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- <u>इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।</u>